भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4018

उत्तर देने की तारीख-18/08/2025

स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं

4018. **श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे सरकारी स्कूलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र/जिला-वार संख्या कितनी है, जिनमें शौचालय, पेयजल और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) कौन-कौन से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई अधिनियम) के प्रावधानों का पालन करने में पिछड़े हुए हैं;

(ग) क्या सरकार 'स्कूल मर्जर' नीति की समीक्षा कर रही है, जिसके अंतर्गत कई छोटे स्कूल बंद किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए स्कूली शिक्षा के संकेतकों संबंधी डेटा को रिकॉर्ड करने हेतु शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज+) तैयार की है। यूडाइज+ 2023-24 के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार बालिकाओं के शौचालय, बालकों के शौचालय, पेयजल और बिजली कनेक्शन सुविधा युक्त सरकारी स्कूलों का प्रतिशत https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर उपलब्ध है।

(ख) से (घ) : यूडाइज+ पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच में सुधार की दिशा में प्रगति हुई है। इसका प्रमाण वर्ष 2018-19 और 2024-25 के सकल पहुंच अनुपात (जीएआर) से मिलता है:

वर्ष	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक
2018-19	97.15	96.49	88.24	65.05
2024-25	97.83	96.57	95.35	94.97

जीएआर: सकल पहुंच अनुपात (जीएआर) उस वर्ष के कुल गांवों/बस्तियों में से उन गांवों/बस्तियों की कुल संख्या है जिनमें निर्दिष्ट मानदंडों के अंतर्गत स्कूल हैं।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के क्षेत्राधिकार में आते हैं। स्कूलों को खोलना, बंद करना और युक्तिसंगत बनाना संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के क्षेत्राधिकार में है। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 बच्चों को निर्धारित क्षेत्र या पड़ोस की सीमाओं के भीतर प्रारंभिक स्कूलों तक पहुंच प्रदान करता है। आरटीई अधिनियम की धारा 6 के अनुसरण में, सभी राज्यों ने अपने पड़ोस के मानदंडों के क्षेत्र या सीमाओं को अधिसूचित किया है। इसके अतिरिक्त, आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 8 में यह भी अनिवार्य किया गया है कि समुचित सरकार प्रत्येक बच्चे को नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करेगी और पड़ोस में स्कूलों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

*****